ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः–3प/मु०मं०नि०यो०–19–15/2022/29 (स्वी०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

महालेखाकार,
(ले० एवं ह०), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 11/8/2022

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए पंचायती राज विभाग अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत क्रियान्वित सतत् पेयजलापूर्ति हेतु दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के अनुरक्षण व्यवस्था हेतु अनुमान्य वार्षिक अनुदान राशि कुल ₹69,60,12,000.00 (उनहत्तर करोड़ साठ लाख बारह हजार रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय संकल्प सं०–2935 दिनांक–22.06.2021, पत्रांक–3183 दिनांक–05.07.2021 एवं पत्रांक–3946 दिनांक–29.07.2021

आदेशः– स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय संकल्प सं०–2935 दिनांक–22/06/2021 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत सतत् जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन हेतु संकल्प की कंडिका–7(क)(iv) के ₹24000/– वार्षिक अनुदान की राशि राज्य सरकार की ओर से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में अलग से दिए जाने का प्रावधान है। जिसके लिए प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को पंचायती राज विभाग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना से आच्छादित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते को CFMS प्रणाली के तहत मैपिंग हेतु निदेशित किया जा चुका है।

2. उक्त प्रावधानित व्यवस्था के तहत पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के कुल 58001 वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति अन्तर्गत सतत् पेयजलापूर्ति व्यवस्था के संचालन हेतु अनुमान्य प्रति माह ₹2000/– वार्षिक अनुदान राशि की दर से यथा निर्धारित कुल छः माह का ₹12000/– प्रति वार्ड की दर से संबंधित जिलों के वार्डों की संख्या के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022–23 में निम्नवत राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्रमांक	जिला का नाम	कुल पंचायतों की संख्या	कुल वार्डों की संख्या	पेयजल निश्चय योजना के तहत अनुमान्य ₹2000/– प्रतिमाह की दर से कुल ₹12000/–(छः माह) प्रति वार्ड कुल राशि (क्रमांक 4x12000)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	अरवल	60	794	9528000.00
2.	औरंगाबाद	126	1770	21240000.00
3.	बाँका	63	812	9744000.00
4.	भागलपुर	57	735	8820000.00

F:\Letters.docx 214

कृ०पृ०उ०

5.	भोजपुर	132	1759	21108000.00
6.	बक्सर	69	936	11232000.00
7.	दरभंगा	283	3849	46188000.00
8.	गया	188	2602	21224000.00
9.	गोपालगंज	205	2735	32820000.00
10.	जमुई	21	266	3192000.00
11.	जहानाबाद	65	892	10704000.00
12.	कैमूर	57	733	8796000.00
13.	लखीसराय	32	441	5292000.00
14.	मधुबनी	353	4715	56580000.00
15.	मुंगेर	16	217	2604000.00
16.	मुजफ्फरपुर	313	4313	51756000.00
17.	नालन्दा	90	1206	14472000.00
18.	नवादा	74	996	11952000.00
19.	पश्चिम चम्पारण	269	3216	38592000.00
20.	पटना	217	2870	34440000.00
21.	पूर्वी चम्पारण	360	4948	59376000.00
22.	रोहतास	113	1549	18588000.00
23.	समस्तीपुर	214	2900	34800000.00
24.	सारण	237	3362	40344000.00
25.	शिवहर	37	518	6216000.00
26.	सीतामढ़ी	227	3181	38172000.00
27.	सिवान	260	3608	43296000.00
28.	वैशाली	152	2078	24936000.00
कुल		4290	58001	₹69,60,12,000.00 (उनहत्तर करोड़ साठ लाख बारह हजार रूपये) मात्र

3. इस स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों की सहायता उप शीर्ष–0113 "मुख्यमंत्री निश्चय योजना" के विषय शीर्ष–0113.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण विषय एवं विपत्र कोड–16–2515001980113 से की जायेगी।

4. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि को पंचायती राज विभाग अंतर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना से आच्छादित वार्डों के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में CFMS

प्रणाली के तहत मैपिंग के आधार पर "बिहार कोषागार संहिता, 2011" के सुसंगत नियमों के आलोक में अंतरित करेंगे।

5. इस राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

6. जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि अपने जिला अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के माध्यम से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खाते में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत अनुरक्षण व्यवस्था के सतत् संचालन हेतु उपलब्ध कराए गए स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सहित प्रतिवेदन संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति एवं ग्राम पंचायतों से प्राप्त कर पंचायती राज विभाग को यथा शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

7. राज्य योजना मद से प्रदत्त अनुदान राशि के उपयोग हेतु योजना क्रियान्वयन इकाई वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति/ग्राम पंचायत/प्रखण्ड/जिला स्तरीय अनुश्रवण इकाई अनुदान राशि के सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु उत्तरदायी होंगे।

8. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05/10/2017 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

09. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय आंतरिक सलाहकार की सहमति संचिका सं०–3प/मु०मं०नि०यो०–19–15/2022 के टि०पृ०–09/टि० पर दिनांक–01/08/2022 को प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन संचिका सं०–3प/मु०मं०नि०यो०–19–15/2022 के टि०पृ०–09/टि० पर दिनांक–02/08/2022 को प्राप्त है।

11. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार–सह–विभागीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका सं०–3प/मु०मं०नि०यो०–19–15/2022 के टि०पृ०–09/टि० पर दिनांक–08/08/2022 को प्राप्त है।

12. इस स्वीकृत्यादेश प्रारूप के प्रत्येक पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन

11/8/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक–3प/मु०मं०नि०यो०–19–15/2022 /29 (स्वी०)/पं०रा०पटना, दिनांक 11/8/2022
प्रतिलिपि– सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/8/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक–3प/मु०मं०नि०यो०–19–15/2022 /29 (स्वी०)/पं०रा०पटना, दिनांक ....../....../2022
प्रतिलिपि– सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/8/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

लगातार...

F:\Letters.docx 216

ज्ञापांक–3प/मु०मं०नि०यो०–19–15/2022 /29(स्वी०)/पं०रा०पटना, दिनांक 11/8/2022
प्रतिलिपि– सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/8/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक–3प/मु०मं०नि०यो०–19–15/2022 /29(स्वी०)/पं०रा०पटना, दिनांक 11/8/2022
प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभाग के वेबसाईट पर डालेंगे तथा सभी संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से संबंधित को सूचित करेंगे।

11/8/2022

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी